बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के संबंध में जानकारी

1. राज्य भर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य अप्रैल 2012 से कराया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी जिलों के लगभग आधे प्रखंडों में जनगणना कार्य चल रहा है। प्रथम चरण की जनगणना के पश्चात शेष बचे प्रखंडों/शहरी क्षेत्रों में द्वितीय चरण की जनगणना करायी जायेगी।

2. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के तीन महत्वपूर्ण परिणाम होंगे :-

- पहला, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करेगी जिससे यथार्थ रूप से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की एक सूची तैयार होगी।
- दूसरा, इससे जनसंख्या के जातिवार ब्यौरों की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
- तीसरा, यह विभिन्न जातियों का सामाजिक आर्थिक विवरण प्रदान करेगी।

3. आयोजन की प्रक्रिया

- प्रगणक गणना ब्लॉक में अभिज्ञात प्रत्येक परिवार का दौरा कर प्रश्नावली को भरेंगे। वे बेघर जनसंख्या (उदाहरणार्थ रेलवे स्टेशन, सड़क के किनारे आदि स्थानों पर रह रहे लोग) के पास भी जायेंगे।
- प्रत्येक प्रगणक के साथ एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर रहेगा। प्रगणक प्रश्नावली के अनुसार परिवार के सदस्य/सदस्यों से सूचना प्राप्त करेंगे।
- इस सूचना को एक इलेक्ट्रॉनिक हैण्ड हेल्ड डिवाइस-छोटा कम्प्यूटर (एक टेबलेट पीसी) में सीधे प्रविष्ट किया जायेगा। हैण्ड हेल्ड डिवाइस में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हेतु भरे गये फार्मों की स्कैन इमेज पूर्व से ही प्रविष्ट होती है।
- उत्तरदाता द्वारा दी गयी जानकारी (टेबलेट पीसी - छोटा कम्प्यूटर में समाविष्ट) उत्तरदाता को पढ़कर सुनायी जायेगी जो इसे सत्यापित करेंगे। प्रगणक तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक मुद्रित पावती उत्तरदाता को दी जायेगी।
- किसी गणना ब्लॉक से सारी जानकारी एकत्र हो जाने के बाद सत्यापन के लिए एक प्रारूप प्रकाशन सूची तैयार की जायेगी।
- इस प्रारूप सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर इस सूची को ग्राम सभा के समक्ष पढ़ा जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति इसके संबंध में दावे/आपत्तियां और सूचना पदनामित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रारूप सूची ग्राम पंचायत, प्रखंड विकास कार्यालय, चार्ज केन्द्र और जिला कलेक्टर के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।
- यह सूची एन.आई.सी./राज्य सरकार/ग्रामीण विकास मंत्रालय/आवास तथा शहरी गरीबी मंत्रालयों की वेबसाइटों पर भी लोड की जायेगी।

4. प्रगणक के द्वारा गृहस्वामी अथवा गृहस्वामी की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य से निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त की जायेगी :-

- व्यवसाय
- शिक्षा
- निःशक्तता
- धर्म
- अनु.जा./अनु.ज.जा. स्थिति
- जाति/जनजाति का नाम
- रोजगार
- आय एवं आय का साधन
- परि-सम्पत्तियां
- मकान
- टिकाऊ और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान
- भूमि
- उत्तरदाता को अपने द्वारा दी जा रही जानकारी के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिखाना है। तथापि, उत्तरदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सही और प्रमाणिक जानकारी दे जिसका प्रगणक द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।

आपसे अपील है कि प्रगणक जब आपके द्वार जायें तो उन्हें सही जानकारी पूरी जिम्मेवारी के साथ देकर इस महत्वपूर्ण अभियान में अपना योगदान दें।

इस संबंध में किसी भी सुझाव/जानकारी हेतु विभाग के नीचे वर्णित निःशुल्क हेल्प लाईन संख्या पर सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नगर क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

निःशुल्क हेल्प लाईन संख्या

18003452244